रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 1981/आश्विन 8, 1903
No. 328] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 30, 1981/ASVINA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1981

सा. का. नि. 543(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 31 अगस्त 1981 की अधिसूचना सं. 161/81-के. उ. शु. को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची की मद सं. 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए चार सौ नब्बे रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करती है :—

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन, किए जाने की अपेक्षा करती है।

2 यह अधिसूचना 1 अक्तूबर 1981 से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 170/81-के. उ. शु./फा. सं. 7/1-81/के. उ. शु.-1]

आर. देव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th September, 1981

G.S.R. 543(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 161|81-Central Excises, dated the 31st August, 1981, the Central Government hereby fixes a tariff value of four hundred ninety rupees per quintal of sugar failing under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 1981.

[Notification No. 170/81-CE/F. No. 7/1/81 CX. I]

R. Deb, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981